Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सायरमल मीणा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, एन.एल. परमार तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, गिरधारी लाल वर्मा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता एवं संवेदक विनोद केडिया को गिरफ्तार कर पेश किया

जयपुर, दिनांक 19 मई, 2026। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा ईकाई द्वारा **प्रकरण संख्या 503/2013** में बाद अनुसंधान आरोपीगण को गिरफ्तार कर विशिष्ठ न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ के समक्ष पेश किया गया।

एसीबी रेंज कोटा प्रभारी श्री ओम प्रकाश मीणा, उप महानिरीक्षक पुलिस ने बताया कि प्रतापगढ जिले में प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क सडक 1 लेवापाडा 2. हीरापाडा एवं 3. जापा कॉलोनी में सडकों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयुक्त होने, निर्माण के दौरान ही सडकों के टूटने, कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही उसको पूर्ण दिखाकर बिल पेश करने व उसका भुगतान करने तथा निर्माण के बगैर भी कुछ कार्यो का भुगतान करने की शिकायत पर दिनांक 19.07.2013 को एसीबी चौकी प्रतापगढ द्वारा की गई विधिवत आकस्मिक चौकिगं के पश्चात प्रकरण सख्या 503/2013 दिनांक 18.11.2013 दर्ज किया गया।

श्री ओम प्रकाश मीणा, उप महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज, के पर्यवेक्षण में प्रकरण के अनसुंधान अधिकारी **श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक**, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा द्वारा बाद अनुसंधान 1– सायरमल मीणा निवासी सीकर तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, गुण नियंत्रण, खण्ड प्रतापगढ़ 2– एन.एल. परमार निवासी बांसवाडा तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, गुण नियंत्रण खण्ड बांसवाड़ा 3– गिरधारीलाल वर्मा निवासी चित्तौड़गढ़ तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. द्वितीय पीपलखूट जिला प्रतापगढ़ एवं 4– विनोद कोडिया, संवेदक प्रोपराइटर मेसर्स जय बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी जयपुर द्वारा आपसी मिलीभगत कर राज्य सरकार को 11,78,752/– रुपये की आर्थिक हानि पंहुचाना प्रमाणित पाया गया है। एसीबी मुख्यालय द्वारा उक्त के विरुद्ध चालान पेश करने का निर्णय लिये जाने के पश्चात उक्त अभियंताओं के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। अनुसंधान से अपराध पूर्णतया प्रमाणित पाये जाने पर सायरमल मीणा, एन.एल. परमार, गिरधारीलाल वर्मा, विनोद कोडिया को दिनांक 18.05.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार कर, आज 19.05.2026 को विशिष्ठ न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रतापगढ. के समक्ष पेश किया, जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।